



RERA REGISTRATION NO.: 05 of 2017 dated 20.06.2017 (www.haryanarera.gov.in)

सूचना

Licence No.: 13 of 2016 dated 26.09.2016

परियोजनाः The Roselia, कमर्सियल स्पेसः Signum 95A जबकि

 निम्नलिखित आवटी को उपरोक्त परियोजना में उनके आवेदन के तदनानुसार निम्नलिखित इकाई आवंटित की गयी थीः

क्रमांक	आवंटी का नाम	आवंटित इकाई	बीबीए तिथि	टीपीए तिथि	रद्द करने की सूचना देने वाले बैंक के पत्र की तिथि	उक्त बैंक पत्र के बारे में आवटी को सूचित करने वाले पत्र की तिथि
1	MOUMITA Bagchi	E-204	26-11-2018	N/A	14-07-2023	14-07-2023
2	ROCKEY Pandita	G-608	07-10-2019	22-10-2019	07-06-2023	19-06-2023

- उपरोक्त आवटी ने संबंधित बैंक के साथ प्रासंगिक समय पर एक त्रिपक्षीय समझौता किया था और तदनुसार, ऋण वितरित किया गया था।
- उक्त त्रिपक्षीय समझौता के अनुसार उक्त ऋण के भुगतान में चूक की स्थिति में आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और प्राप्त राशि का भुगतान संबंधित बैंक की सचना पर बयाना राशि की कटौती के बाद सीधे बैंक को किया जाएगा।
- 4. संबंधित बैंक ने हमें सूचित किया है कि उपरोक्त आवंटी ने उक्त ऋण राशि के सुगतान में चूक की है और साथ ही आवंटन को उक्त त्रिपक्षीय समझौता के शर्तानुसार रह (समाप्त) करने और प्राप्त राशि से बयाना राशि की कटौती के बाद सीधे बैंक को चुकाने के लिए कहा है।
- 5. उपरोक्त आवंटी को उचित समय पर इस सूचना के बारे में सूचित किया गया है। हालांकि उपरोक्त आवंटी की ओर से उक्त ऋण की अदायगी में हुई चूक को ठीक करने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए यह सूचना एक बार पुनः दी जा रही है।

इसके सूचना के जिरए स्वित किया जाता है उपरोक्त आवटी ने यदि उक्त ऋण की अदायगी में में हुई चूक को अगले 10 दिनों में ठीक नहीं किया तो हम उक्त त्रिपक्षीय समझौता के शर्तानुसार संबंधित बैंक के सुचनानुसार आवटन को रह (समाप्त) करने और प्राप्त राशि से बयाना राशि की कटौती के बाद शेष राशि को सीधे बैंक को चुकाने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे मामले में, उपरोक्त आवटी के पास उक्त आवटन पर कोई ग्रहणाधिकार या दावा नहीं रहेगा और कंपनी अपने विवेकाधिकार पर किसी मी व्यक्ति एवम पार्टी को उक्त आवटन को बेचने, देने या स्थानांतरित करने की हकदार होंगी।